Employment Schemes, IRDP, JRY, NRY, PMRY supplement this process of employment generation. Scuh schemes have been, in various Plan periods, particularly since the 6th Plan, generating substantial employment and contributing to alleviation of poverty.

(b) According to data from Population Censuses, the number of main workers in the country (excluding Assam for which 1981 Census was not conducted and Jammu & Kashmir for which the 1991 Census was not conducted) increased at an average annual rate of 2.36% between 1971 and 1981 and at the rate of 2.37 percent between 1981 and 1991.

(c) and (d) Employment is a major thrust area of the 8th Plan. Employment strategy envisaged in the Plan lays stress on the growth of employment intensive sectors, sub-sectors and activities. The strategy is expected to bring about a rate of growth of employment of the order of 2.6 to 2.8 per cent corresponding to an average annual rate of growth of the economy of 5.6 per cent.

बाल-श्रम अधिनियम में संशोधन

3586. **श्री आस मोहम्मद:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाल-श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में इस प्रकार से संशोधन करने का विचार रखती है जिससे बाल श्रम के कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) और (ख) सरकार ने बाल श्रम कानूनों की पुनरीक्षा की है और इनका प्रवर्तन अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। संशोधन में निषेधात्मक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण का प्रावधान करने का प्रस्ताव है, जिन्हें संज्ञेय अपराध बनाये जाने का प्रस्ताव है। कारखाना अधिनियम, 1948 में विद्यमान प्रावधानों के अनुरूप बाल कर्मकार की आयु के प्रमाण उपलब्ध करवाने का भार नियोक्ता पर है।

बार-बार अपराध के संबंध में शास्तियों के प्रावधानों को भी संशोधन में समाहित कराया जाना आवश्यक है।

बालकों हेतु नियम विद्यमान कम दर की मजदूरी के कारण नियोजकों को बालकों की नियोजित करने से हतोत्साहित करने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है जिसके लिए इस अधिनियम के उन विद्यमान प्रावधानों को समाप्त किया जायेगा जो बाल श्रमिकों हेतु अलग न्यूनतम मजदूरी नियत करने की अनुमति देते हैं।

चार केन्द्रीय अधिनियमों अर्थात् बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को उल्लंघन के मामले में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की अधिक कड़ी शास्तियां लागू की जायेंगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Unclaimed Employees Provident Fund

3587. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 853 given in the Rajya Sabha on the 1st August, 1994 and state the amount of unclaimed Employees' Provident Fund contributions lying with the Employment Provident Fund Commissioners as on 31st March, 1994 and what steps Government have so far taken to pay these amounts to the legal heirs of the deceased workers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): As on 31.3.94 an amount of Rs. 69.79 crores was lying unclaimed with the Regional P.F. Commissioners. The provident fund amount together with interest is paid as and when claims are made by the member/legal heir as per the Scheme framed under the Act. The RPFCs have been given instructions to give wide publicity including sending